

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल
कमांक/ 479 /स्था/नग्रानि/2015 भोपाल, दिनांक 28-1-15
//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री जे.पी.चौधरी, नीलमुद्रक जि.कार्या. उज्जैन	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ-1-1/1/वे.आ. प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन कं.-एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु कं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।

हस्ता/-
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

पृ.कमांक/ प्रतििलिपि- /स्था/नग्रानि/2015

भोपाल, दिनांक

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन को सूचनार्थ।
2. कोषालय अधिकारी, उज्जैन।
3. श्री जे.पी.चौधरी, नीलमुद्रक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन को सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत नस्ती।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल

कमांक / /स्था/नग्रानि/2015 भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री शान्ताराम निखाडे, मॉडलर मुख्यालय, भोपाल	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ-1-1/1/वे.आ. प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन कं.-एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु कं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।

हस्ता/

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 28-1-15

पृ.कमांक/ /स्था/नग्रानि/2015
प्रतिलिपि-

1. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
2. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
3. श्री शान्ताराम निखाडे, मॉडलर नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत नस्ती।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक /

/स्था /नग्रानि /2015

भोपाल,दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री नथन सिंह नेगी, चैनमेन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर	4440-7440+1400	5200-20200+1800	2.8.2.2014
2.	श्री नारायण वैद्य, चैनमेन जि.कार्या.खण्डवा	4440-7440+1400	5200-20200+1800	2.8.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99,भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. -एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु क्र.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये ।

हस्ता/र

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

458

पृ.कमांक/ /स्था/नग्रानि/2015
प्रतिलिपि-

भोपाल,दिनांक 28-1-15

1. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा को सूचनार्थ ।
2. कोषालय अधिकारी, इन्दौर/खण्डवा ।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर को सूचनार्थ ।
4. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ ।
5. व्यक्तिगत नस्ती ।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक / /स्था/नग्रानि/2015 भोपाल,दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री द्वारकाप्रसाद,चैनमेन जि.कार्या.इन्दौर	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014
2.	श्री मदनलाल चकोटिया, चैनमेन जि.कार्या. ग्वालियर	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014
3.	श्री डेविड सेमसन व्हाईट, चैनमेन जि.कार्या.सतना	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014
4.	श्री दुर्जन सिंह, चैनमेन मुख्यालय भोपाल	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014
5.	श्री हुकुमचन्द्र चढार, चैनमेन, जि.कार्या. सागर	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014
6.	श्री रमेश शिंदे,चैनमेन जि.कार्या.देवास	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014
7.	श्री गौरखनाथ,चैनमेन जि.कार्या. नीमच	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. -एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु क्र.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।

हस्ता/-

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 28-1-15

456

पृ. क्रमांक / /स्था/नग्रानि/2015
प्रतिलिपि-

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर/ इन्दौर / सागर को सूचनार्थ।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास/ नीमच/ सतना को सूचनार्थ।
3. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन भोपाल/ ग्वालियर/ इन्दौर/ सागर/ देवास/ नीमच/ सतना
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
6. व्यक्तिगत नस्ती।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक /

/स्था /नग्रानि / 2015

भोपाल,दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री शिवनारायण, मारन, भृत्य मुख्यालय भोपाल	4440-7440+1400	5200-20200+1800	5.8.2014
2.	श्री शेरू सिंह,भृत्य जि.कार्या, सागर	4440-7440+1400	5200-20200+1800	8.8.2014
3	श्री औंकार यादव,भृत्य जि.कार्या.इन्दौर	4440-7440+1400	5200-20200+1800	10.8.2014
4	श्री परमेश्वर बाविस्कर,भृत्य जि.कार्या. उज्जैन	4440-7440+1400	5200-20200+1800	1.12.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99,भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप क्रं. -एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु क्रं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।

हस्ता/ -
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

पृ.कमांक/ 454 /स्था/नग्रानि/2015
प्रतिलिपि-

भोपाल,दिनांक 28-1-15

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर/उज्जैन/सागर को सूचनार्थ।
2. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन भोपाल/सागर/इन्दौर/उज्जैन।
3. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
4. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
5. व्यक्तिगत नस्ती।

~~आयुक्त सह संचालक~~
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक/ /स्था/नग्रानि/2015 भोपाल,दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री रामजस वर्मा, भृत्य जि.कार्या.रीवा	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014
2	श्री जगन्नाथ, भृत्य जि.कार्या. भोपाल	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014
3	श्रीमती रमकिया बाई, भृत्य जि.कार्या.ग्वालियर	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014
4	श्री पालकदास शुक्ला,भृत्य जि.कार्या.रीवा	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014
5	श्रीमती मायादेवी,भृत्य मुख्यालय भोपाल	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014
6	श्री शेख कदीर,भृत्य जि.कार्या.विदिशा	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014
7	श्री बालकिशन दवे,भृत्य जि.कार्या.इन्दौर	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99,भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. -एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु क्र.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये ।

हस्ता/

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 28-1-15

पृ.क्रमांक / 452 /स्था / नग्रानि / 2015
प्रतिलिपि-

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल / ग्वालियर / इन्दौर / रीवा को सूचनार्थ ।
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा को सूचनार्थ ।
3. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन भोपाल / ग्वालियर / इन्दौर / रीवा / विदिशा ।
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ ।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ ।
6. व्यक्तिगत नस्ती ।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल
कमांक / /स्था / नग्रानि / 2015 भोपाल, दिनांक
// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री सोनू बण्डू प्रैसमेन जि.कार्या, विदिशा	5200-20200+1800	5200-20200+1900	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ-1-1/1/वे.आ. प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप कं.-एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु कं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।

हस्ता /
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल


भोपाल, दिनांक 28-1-15

450
पृ.कमांक / /स्था / नग्रानि / 2015
प्रतिलिपि-

1. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा को सूचनार्थ।
2. कोषालय अधिकारी, विदिशा।
3. श्री सोनू बण्डू प्रैसमेन, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा को सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत नस्ती।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

कमांक /  /स्था /नग्रानि /2015

भोपाल,दिनांक 28-1-15

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री कल्याण सिंह पवार, दफ्तरी जि.कार्या. छतरपुर	4440-7440+1400	5200-20200+1900	27.1.2010
2.	श्री बी.के.गुप्ता, दफ्तरी जि.कार्या, ग्वालियर	4440-7440+1400	5200-20200+1900	5.8.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99,भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप कं. -एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु कं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये ।

~~हस्ता/-~~

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

पृ.कमांक/ 448 /स्था/नग्रानि/2015
प्रतिलिपि-

भोपाल,दिनांक 28-1-15

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर को सूचनार्थ ।
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छतरपुर को सूचनार्थ ।
3. कोषालय अधिकारी, ग्वालियर/छतरपुर ।
4. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ ।
5. व्यक्तिगत नस्ती ।

~~आयुक्त सह संचालक~~
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरां कालोनी, भोपाल

कमांक /

/स्था / नग्रानि / 2015

भोपाल, दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपटित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री सुलेमान खान, दफ्तरी मुख्यालय भोपाल	5200-20200+1900	5200-20200+2100	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ-1-1/1/वे.आ. प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप कं.-एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु कं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।

हस्ता/-

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 28-1-15

446

पृ.कमांक / /स्था / नग्रानि / 2015

प्रतिलिपि-

1. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
2. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
3. श्री सुलेमान खान, दफ्तरी, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत नस्ती।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक /

/स्था /नग्रानि /2015

भोपाल,दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री जगदीश यादव, वाहन चालक, जि.कार्या. ग्वालियर	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014
2.	श्री ए.आर.खान वाहन चालक जि.कार्या इन्दौर	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99,भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप क्रं. -एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु क्रं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।

हस्ता/-

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक / 444 / स्था / नग्रानि / 2015
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 28-1-15

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर/इन्दौर को सूचनार्थ।
2. कोषालय अधिकारी, ग्वालियर/इन्दौर।
3. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत नस्ती।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेश कालोनी, भोपाल
कमांक / /स्था/नग्रानि/2015 भोपाल, दिनांक
//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपटित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री आर.के.सागर, मुख्यालय, भोपाल	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ-1-1/1/वे.आ. प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन कं.-एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु कं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।

हस्ता/र
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

442
पृ.कमांक / /स्था/नग्रानि/2015
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 28-1-15

1. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल, भवन भोपाल।
2. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
3. श्री आर.के.सागर, सहायक मानचित्रकार नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत नस्ती।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

कमांक /

/स्था / नग्रानि / 2015

भोपाल,दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में, निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशासा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्रीमती मोली वर्गीस, सहा.ग्रेड-1 मुख्यालय भोपाल	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014
2.	श्रीमती सुषमा शुक्ला, सहायक ग्रेड-1 मुख्यालय, भोपाल	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014
3	श्री पी.के.परमार, सहा.ग्रेड-1 जि.कार्या. देवास	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014
4	श्री एम.एल.मालवीय, सहा. ग्रेड-1 जि.कार्या.होशांगाबाद	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014
5	श्री के.के.जैन, सहा.ग्रेड-1 मुख्यालय भोपाल	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014
6	श्रीमती सोफिया सिद्दीकी, सहा.ग्रेड-1 मुख्यालय भोपाल	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014
7	श्री बी.एस.बिष्ट, सहा. ग्रेड-1 मुख्यालय भोपाल	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014

8	श्री इफितखार कुरैशी, सहा.ग्रेड-1 जि.कार्या. गुना	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014
9	श्रीमती पंकजम नायर से.नि.सहा.ग्रेड-1 मुख्यालय भोपाल	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014
10	श्री एस.के.द्विवेदी सहा.ग्रेड-1 जि.कार्या.इन्दौर	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014
11	श्रीमती लाजवंती वर्मा, सहा.ग्रेड-1 मुख्यालय भोपाल	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99/भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. -एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु क्र.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।

हस्ता/र
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक / 440 / स्था / नगानि / 2015
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 28-1-15-

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, शहडोल / देवास / होशंगाबाद / गुना को सूचनार्थ।
3. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन भोपाल / देवास / होशंगाबाद / गुना।
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
6. व्यक्तिगत नस्ती।

को
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल
कमांक / /स्था/नग्रानि/2015 भोपाल, दिनांक
//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री तेजराम कण्डेरे, अन्वेषक जि.कार्या. इन्दौर	9300-34800+3600	9300-34800+4200	1.11.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ-1-1/1/वे.आ. प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन कं.-एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु कं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।

हस्ता/—
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

पृ. कमांक / 438 /स्था/नग्रानि/2015
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 28-1-15

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर को सूचनार्थ।
2. कोषालय अधिकारी, इन्दौर।
3. श्री तेजराम कण्डेरे, अन्वेषक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर को सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत नस्ती।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल
कमांक / /स्था/नग्रानि/2015 भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री एस.के.आथनकर, रिसर्च सहायक जि.कार्या. भोपाल	9300-34800+3600	9300-34800+4200	9.7.2013

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ-1-1/1/वे.आ. प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन कं.-एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु कं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।

हस्ता/

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

पृ.कमांक/ **436** /स्था/नग्रानि/2015
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 28-1-15-

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ।
2. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
3. श्री एस.के.आथनकर, रिसर्च सहायक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत नस्ती।

हस्ता/
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक / /स्था / नग्रानि / 2015 भोपाल, दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया. तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री जे.पी.तिरकिया, उपयंत्री जि.कार्या. इन्दौर	9300-34800+3200	9300-34800+4200	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ. प्र./99/भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्र.एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु क्र.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।

हस्ता/-

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक / 434 /स्था / नग्रानि / 2015
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 28-1-15

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर को सूचनार्थ
2. कोषालय अधिकारी, इन्दौर।
3. श्री जे.पी.तिरकिया, उपयंत्री नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर को सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत नस्ती।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक / 430 / स्था / नग्रानि / 2015

भोपाल, दिनांक 28-1-15

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री एल.एच.सिद्दीकी स्टेनोटायपिस्ट जि.कार्या. शहडोल	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014
2.	श्रीमती लीलम्मा जोसेफ़, स्टेनोटायपिस्ट मुख्यालय भोपाल	5200-20200+2800	9300-34800+3200	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. -एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु क्र.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये ।

हस्ता/-

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

432

पृ.कमांक / /स्था / नग्रानि / 2015
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 28-1-15

1. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, शहडोल को सूचनार्थ ।
2. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन भोपाल / शहडोल ।
3. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ ।
4. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ ।
5. व्यक्तिगत नस्ती ।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक/

/स्था/नग्रानि/2015

भोपाल,दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री एम.एल.नेमा, वरिष्ठ रिसर्च सहायक मुख्यालय भोपाल	9300-34800+4200	15600-39100+ 5400	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99,भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप क्रं. -एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु क्रं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।




आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

पृ.कमांक/ ⁴²⁶ /स्था/नग्रानि/2015
प्रतिलिपि-

भोपाल,दिनांक 27-1-15

1. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल, भोपाल।
2. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
3. श्री एम.एल.नेमा, वरिष्ठ रिसर्च सहायक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत नस्ती।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक /

/स्था/नग्नानि/2015

भोपाल,दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से, कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-


क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री ए.व्ही.पाण्डे, रिसर्च सहायक मुख्यालय भोपाल	9300-34800+4200	15600-39100+ 5400	1.7.2014
2.	श्री व्ही.के.कुशवाह, रिसर्च सहायक, जि.कार्या.ग्वालियर	9300-34800+4200	15600-39100+ 5400	1.7.2014
3	श्री मो. अन्सार खान, से.नि.रिसर्च सहायक, जि.कार्या.विदिशा	9300-34800+4200	15600-39100+5400	1.7.2014
4	श्री अयूब कुरैशी, रिसर्च सहायक मुख्यालय भोपाल	9300-34800+4200	15600-39100+ 5400	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक

एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99,भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप कं. -एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु कं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।


समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

पृ.कमांक/ ⁴²⁸ /स्था/नग्रानि/2015
प्रतिलिपि-

भोपाल,दिनांक 28-1-15

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर।
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा।
3. कोषालय अधिकारी विन्ध्याचल भवन भोपाल/ग्वालियर/विदिशा।
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
6. व्यक्तिगत नस्ती।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक / 428/स्था / नग्रानि / 2015

भोपाल,दिनांक 28-1-15

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ - 11 / 1 / 08 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 24.9.2008 एवं समख्यंक. ज्ञाप दिनांक 7.11.2009, 13.11.2009, समख्यंक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 अनुसार 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयमान वेतनमान एवं समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं.4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना स्थान	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री एम.एल.मालवीय, स्टाफ आफिसर (शीघ्रलेखक ग्रेड-1) मुख्यालय,भोपाल	9300-34800+4200	15600-39100+ 5400	1.7.2014
2.	श्री अनिल राय, निज सहायक (शीघ्रलेखक ग्रेड-2)	9300-34800+4200	15600-39100+ 5400	1.7.2014
3.	श्री एस.एन.साकल्ला, निज सहायक (शीघ्रलेखक ग्रेड-2) जि.कार्या.उज्जैन	9300-34800+4200	15600-39100+ 5400	1.7.2014

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99,भोपाल दिनांक 18.8.2005 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप क्रं. -एफ-11/1/08/नियम-4 दिनांक 24.1.08 के बिन्दु क्रं.-7 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत इसका अनुमोदन संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा लिया जाये ।

हस्ता/

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक/ ⁴³⁸ 3-³ /स्था/नग्रानि/2015
प्रतिलिपि-

भोपाल,दिनांक 28-1-15

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन को सूचनार्थ ।
2. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल, भोपाल/उज्जैन
3. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ ।
4. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ ।
5. व्यक्तिगत नस्ती ।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल